सं0-38/2017/5713/62-2-2017-2/3(21)/2017

प्रेषक,

शरद कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर,2017

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिग एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-958/ल0सिं0/बजट-आर0आई0डी0 एफ0/2017-18, दिनांक 26.7.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.8.2017 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिग एवं हेडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-709.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-709.00 (रूपया सात करोड नौ लाख मात्र) को आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नही डाला जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की ग्राउण्ड वाटर चार्जिग एवं हैडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित) में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्ध एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.8.2017 में दिये गये निर्देशों/आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्यो के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/उपभोग प्रश्नगत योजना संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने बाद ही किया जायेगा तथा सी0सी0एल0 प्रणाली के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(7) किसी भी दशा में अवमुक्त धनराशि से अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जायेगा।

(8) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में शासनादेश सं0-1578/62-2-2015-2/2(18)/2004 टीसी, दिनांक 03.8.2015 द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा- निर्देशों में दिये गये शर्तो/प्रतिबन्धो/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) निर्माण कार्यो के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों मे दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

2- उक्त् पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-102-भूजल-11-ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिग चेकडैम एवं हैडर का निर्माण (नाबार्ड पोषित)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अर्द्ध शा0 सं0-यू0ओ0-ई-2724/दस-17, दिनांक 09.10.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शरद कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

सं0-38/2017/5713(1)/62-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।

6- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, गोरखपुर।

7- अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, बस्ती।

8- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

9- एन0आई0सी0 की प्रति।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विभाकर द्विवेदी)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।